

बनाचारमा EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i) PART II—Section 3—Subsection (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 379] नई क्लि, शनिवार, दिसम्बर 1, 1979/ग्रग्रहायण 10, 1901 No. 379] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 1, 1979/AGRAHAYANA 10, 1901,

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## विदेश मंत्रालय

## आवेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1979

सा. का. नि.  $662(\mathfrak{A})\cdot$ —पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 जनवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या जी एस आर.  $53(\mathfrak{E})$  का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सभी सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को अपने-अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[संख्या वी. 1/401/17/75] के. डी. शर्मा, संयुक्त सिंचव

911 GI/79

(1391)

1392 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER

, (72)

New Delhi, the 1st December, 1979

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 53(E) dated the 31st January, 1976, the Central Government hereby authorise all the State Governments and the administrators of the Union territories to sanction prosecution in respect of the offences under section 12 of the said Act within their respective territorial jurisdiction.

[No. VI/401/17/75] K. D. SHARMA, Jt. Secy.